XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

30.01.2012

न्यायालय, समाहर्त्ता पूर्णियाँ

राजस्व अपील वाद संख्या–60/2000

धारा 48(F) B.T. Act. अन्तर्गत

शीबू पासवान, पिता–स्व0 कुसुम लाल पासवान,
साकिन–काझा, थाना–के0नगर, जिला–पूर्णियाँ

–आवेदक

बनाम

कपिलदेव शर्मा, पिता–स्व0 बिन्देश्वरी शर्मा,
साकिन–काझा, थाना–के0नगर, जिला–पूर्णियाँ

–विपक्षी

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्णियाँ द्वारा वाद संख्या–72/96–97 (धारा 48(E) B.T. Act.) में दिनांक–09.06.2000 को पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक ने यह वाद प्रारंभ किया हैं।

आवेदक के पिता प्रश्नगत जमीन खाता संख्या–1600 खेसरा संख्या–2383, रकवा 55 डिसमिल, खेसरा संख्या–2384 रकवा 28 डिसमिल एवं खाता संख्या–214, खेसरा संख्या–4694, रकवा–2.74 एकड़ कुल 3.54 एकड़ वर्ष 1962 के भादो माह में विपक्षी के पिता से आधी बटाई पर लिया। प्रश्नगत जमीन के खाता संख्या–214, खेसरा संख्या–4964 रकवा 4 डिसमिल का बासगीत पर्चा भी आवेदक के नाम से बना हुआ है। विपक्षी जमीन बेचना चाहते है। इसलिए आवेदक को जमीन छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए आवेदक ने अपने बटाई हक के लिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में धारा 48(E) B.T. Act. के अन्तर्गत वाद संख्या–72/96–97 प्रारंभ किया। प्रस्तुत गवाह एवं साक्ष्य को नजरअंदाज कर वाद को खारिज कर दिया गया। आवेदक का कथन है कि जमीन मालिक जिला न्यायाधीश थे और उनका पदस्थापन हमेशा पूर्णियाँ से बाहर ही होता था इसलिए खेती हम आवेदक ही करते थे।

अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन कर अपने स्तर से वाद की सुनवाई कर आवेदक के पक्ष में न्याय करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि आवेदक द्वारा बटाईदारी का दावा करना निराधार है। विपक्षी के पिता या दादा ने कभी भी जमीन बटाई पर न तो आवेदक के पिता और न ही आवेदक को दिया है। आवेदक द्वारा प्रश्नगत जमीन के अंश में बासगीत पर्चा बनवाने की बात कही गई है, इसकी जानकारी विपक्षी को नहीं है। आवेदक ने निम्न न्यायालय में बटाई लेने का वर्ष अंकित किया है। अगर आवेदक के द्वारा वर्णित समय का सत्य माना जाय तो उस समय आवेदक का जन्म भी नहीं हुआ होगा और 1932 ई0 अगर सत्य है तो आर0एस0 सर्वे में आवेदक के पूर्वज का नाम सिकमीदार के रूप में दर्ज होता। आवेदक ने कहा है कि जमीन मालिक जिला न्यायधीश थे और उनका घर प्रश्नगत जमीन से 5 कि0मी0 दूर है इसलिए खेत बटाई पर दिए थे। विपक्षी का यह भी कथन है कि उपरोक्त कथन भी

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

आवेदक का असत्य है क्योंकि जमीन मालिक का घर जमीन के बहुत करीब ही है और उनका सारा काम उनके करपरदाज करते थे। आवेदक यह कथन कि निम्न न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया, यह भी असत्य है। निम्न न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण से पूर्व आवेदक को भी सूचना दी गई थी। विपक्षी का यह भी कथन है कि खेसरा न0 2383 एवं 2384 कामख्या देवी एंव नवल किशोर के हिस्से में है और उसे भी पक्षदार नहीं बनाया गया हैं।

अतः विपक्षी का अनुरोध है कि आवेदक द्वारा प्रारंभ किए गए उपरोक्त वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

पूर्व निधारित तिथि दिनांक 23.01.2012 को सुनवाई की गयी। यह सुनवाई आवेदक के द्वारा समर्पित नाम उत्तराधिकारी संशोधन आवेदन के स्वीकृति के संबंध में दायर किया गया है। आवेदक के द्वारा कहा गया कि दिनांक 26.07.2011 को आवेदक के मृत होने के कारण नाम उत्तराधिकारी संशोधन आवेदन पत्र दायर किया गया है, इसे स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इसका विरोध करते हुए कहा गया कि इस वाद के आवेदक के मृत्यु के बाद स्वतः यह आवेदन समाप्त हो जाता है। चूँकि आवेदक अपने मृत्यु के बाद किसी को उत्तराधिकारी नहीं बना सकता है। साथ–साथ 48(F) B.T. Act के तहत उत्तराधिकारी संशोधन का मामला लागू नहीं होगा। आवेदक के द्वारा समर्पित माननीय उच्च न्यायालय का आदेश 48(D) (Occupancy right) से संबंधित है न कि बटाईदारी से संबंधित है।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद इस निर्णय पर यह न्यायालय पहुँचता है कि चूँकि इस वाद के आवेदक खूद नहीं रह गये, इसलिये इस वाद का मान्यता नहीं रह जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में उत्तराधिकारी संशोधन संबंधी प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार यह वाद समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ